शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/अर्द्धवार्षिक मूल्यां./2022–23/6190 भोपाल, दिनांक 01/11/2022

परीक्षा अतिमहत्वपूर्ण

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक,
जिला शिक्षा केन्द्र,
जिला–समस्त म.प्र.

विषय– मदरसा बोर्ड अंतर्गत संचालित शालाओं के अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022–23 हेतु प्रश्नपत्रों के अतिरिक्त मुद्रण हेतु पूर्व में जारी आदेश को निरस्त करने विषयक।

संदर्भ– 1. राशिके का पत्र क्र. 5689 दिनांक 29.09.2022 (अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन निर्देश)
2. राशिके का पत्र क्र./मूल्यांकन/अर्द्धवार्षिक मूल्यां/2022–23/6074 दिनांक 27.10.2022

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत पत्र क्र. 2 के माध्यम से मदरसा बोर्ड के कक्षा 5 व 8 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्नपत्रों के अतिरिक्त मुद्रण कराने हेतु प्रत्येक जिले के जिला परियोजना समन्वयक को निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है–

अशासकीय शालाओं के समान प्रत्येक मदरसा, कक्षा 5 व 8 के प्रश्नपत्रों का निर्माण स्वयं के स्तर पर करेंगे, किन्तु इस हेतु राज्य द्वारा जारी ब्लूप्रिंट का अनुपालन करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाए कि संदर्भित पत्र क्र. 1 द्वारा जारी निर्देशों अनुसार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के प्रश्नपत्रों की 1–1 प्रति बी.आर.सी.सी. कार्यालय में अनिवार्यतः जमा कराई जाए।

(धनराजू एस.) 01/11/2022
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड

"तालीम घर" इस्लामी गेट, शाहजहांनाबाद, भोपाल - 462001

पृष्ठांकनः क्र/म.प्र.म.बो./मूलयां./अद्धवार्षिक/परीक्षा/2022–23/346 **भोपाल, दिनांक** 02.11.2022

प्रतिलिपिः–

1. समस्त ज़िला मदरसा प्रभारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसे (जिनको डाइस कोड आवंटित है) की ओर भेजकर लेख है कि राज्य शिक्षा केन्द्र के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार अशासकीय शालाओं के समान प्रत्येक मदरसा, कक्षा 5 व 8 के प्रश्नपत्रों का निर्माण स्वयं के स्तर पर करेंगे किन्तु इसके लिए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी ब्लूप्रिंट का अनुपालन करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त मदरसों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रा.शि.के. द्वारा जारी पत्र क्र. 5689 दिनांक 29.09.2022 (अद्धवार्षिक मूल्यांकन निर्देश) के अनुसार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के प्रश्नपत्रों की 1–1 प्रति बी.आर.सी. कार्यालय में अनिवार्यतः जमा कराई जाए।

   अतः अपने ज़िले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, ज़िला मदरसा प्रभारी एव बी.आर.सी कार्यालय के सतत् सपर्क के रहकर अद्धवार्षिक परीक्षा 2022–23 के मूल्यांकन कार्य को रा.शि.केन्द्र के निर्देशानुसार निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करें।

<u>सचिव मदरसा बोर्ड के निर्देशानुसार</u>

परीक्षा प्रभारी
म.प्र. मदरसा बोर्ड
भोपाल

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/परीक्षा/2022—23/6192 भोपाल, दिनांक : 01/11/2022

अतिमहत्वपूर्ण

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय—कक्षा 5वी व 8वी परीक्षा सत्र 2022—23 हेतु भाषा चयन/माध्यम एवं पंजीयन तिथि के संबंध में संशोधन के संबंध में।

सन्दर्भ—1. राशिके का पत्र क्र./वार्षिक मूल्यांकन/2022—23/5330—31 भोपाल, दि. 12.09.2022
2. रा.शि.के. का पत्र क्र./मूल्यांकन/कक्षा 5,8 वा.मू./ 2022—23/5891 भोपाल, दि. 10.10.2022
3. राशिके का पत्र क्र/मूल्यांकन/कक्षा 5,8 वा.मू./2022—23/6109, दिनांक 28.10.22
4. उर्दू भाषा के संबंध में विभिन्न माध्यम से प्राप्त पत्र
5. पंजाबी भाषा के संबंध में विभिन्न माध्यम से प्राप्त पत्र

विषयान्तर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कक्षा— 5 व 8 परीक्षा 2022—23 के संबंध में जारी निर्देशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है—

1. कक्षा 5 व 8 हेतु प्रथम भाषा चयन हेतु माध्यम की बाध्यता को शिथिल किया जाता है।
2. कक्षा 5 व 8 हेतु प्रथम भाषा हिन्दी व अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू अथवा मराठी भाषा के चयन की स्थिति में अतिरिक्त भाषा/तृतीय भाषा के रूप में हिन्दी सामान्य का चयन करना अनिवार्य होगा।
3. प्राथमिक (कक्षा—5) में प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का चयन करने वाले छात्र अतिरिक्त भाषा (वैकल्पिक) के रूप में सामान्य उर्दू/सामान्य पंजाबी का चयन कर सकेंगे।
4. कक्षा 8 के विद्यार्थियों हेतु तृतीय भाषा के रूप में पूर्व में निर्दिष्ट विकल्पों के साथ पंजाबी भाषा को भी सम्मिलित किया जाता है।
5. शासकीय शालाओं हेतु 31.10.2022 को परीक्षा पोर्टल पंजीयन हेतु खोला जा चुका है, सुविधा की दृष्टि से समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाएं एवं मदरसों के विद्यार्थियों का पंजीयन पोर्टल पर दिनांक 05 नवंबर 2022 से 25 नवंबर 2022 की अवधि में किया जा सकेगा।

(धनराजू एस.) 01/11/2022
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड

"तालीम घर" इस्लामी गेट, शाहजहांनाबाद, भोपाल - 462001

पृष्ठांकनः क्र/म.प्र.म.बो./मूलयां./अद्धवार्षिक/परीक्षा/2022-23/347 भोपाल, दिनांक 02.11.2022

प्रतिलिपिः–

1. समस्त ज़िला मदरसा प्रभारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसे (जिनको डाइस कोड आवंटित है) की ओर सूचर्नाथ भेजकर लेख है कि राज्य शिक्षा केन्द्र के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार कक्षा 5 व 8 परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु भाषा चयन/ माध्यम एवं पंजीयन तिथि के संबंध में जारी निर्देशों में बिन्दु क्र. 1 से 5 तक आंशिक संशोधन किये गये है। अतः तदानुसार अद्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के मूल्यांकन कार्य निर्धारित तिथियों में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

<u>सचिव मदरसा बोर्ड के निर्देशानुसार</u>

परीक्षा प्रभारी,
म.प्र. मदरसा बोर्ड,
भोपाल

अर्द्धवार्षिक प्रश्नपत्र हेतु ब्लुप्रिंट 2022 – 23
(म.प्र. मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसे जिनको डाईस कोड आवंटित है)

कक्षा – .... विषय – .... पूर्णांक – 50

प्रश्न क्र.	प्रश्न का प्रकार Multiple Choice Questions – MCQ Short Answer – SA Long Answer – LA	कौशल Knowledge/Remumburing-K/R Understanding – U Applying – A High Order Thinking - HOTS	कठिनाई स्तर Easy – E Average – A Difficult - D	LO Code	अंक अधिभार
1.	MCQ				1 अंक
2.	MCQ				1 अंक
3.	MCQ				1 अंक
4.	MCQ				1 अंक
5.	MCQ				1 अंक
6.	MCQ				1 अंक
7.	MCQ				1 अंक
8.	MCQ				1 अंक
9.	MCQ				1 अंक
10.	MCQ				1 अंक
11.	SA				3 अंक
12.	SA				3 अंक
13.	SA				3 अंक
14.	SA				3 अंक
15.	SA				3 अंक
16.	SA				3 अंक
17.	SA				3 अंक
18.	SA				3 अंक
19.	SA				3 अंक
20	SA				3 अंक
21.	LA				5 अंक
22.	LA				5 अंक

- प्रश्न पत्र की संरचना/स्वरूप – अकादमिक सत्र 2022–23 हेतु अर्द्धवार्षिक प्रश्नपत्र का प्रारूप निम्नानुसार रहेगा–

प्रश्नों का विवरण व अंक विभाजन	कुल प्रश्न संख्या	पूर्णांक
• विषय के कौशल/लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्न • बहुविकल्पीय – (10 प्रश्न x 1 अंक = 10 अंक) • लघुत्तरीय – (10 प्रश्न x 3 अंक = 30 अंक) • दीर्घउत्तरीय – (2 प्रश्न x 5 अंक = 10 अंक)	22	50

- कौशल व कठिनाई स्तर हेतु अधिभार –

Knowledge Remembering 10%	Understanding 50%	Applying 30%	High Order Thinking Questions 10%
Easy-30%	Average-50%	Difficult- 20%	

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./मूल्याकंन/वार्षिक मूल्यांकन/2022–23/5330 भोपाल, दिनांक 12.9.2022

निर्देश क्र. 1

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय— प्राथमिक (कक्षा—5) व पूर्व माध्यमिक (कक्षा—8) वार्षिक परीक्षा सत्र 2022—23 आयोजन संबंधी निर्देश।

संदर्भ— 1. विभागीय एकल नस्ती पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन क्रं. 2295, दिनांक 02.09.2022
2. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्रं./पा.पु./रा.शि.के./2022/4820, दिनांक 23.08.2022

म.प्र. राजपत्र दिनांक 02.03.2019 अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में किए गए संशोधन के अनुक्रम में प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 व 8 की नियमित परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रावधान है। परीक्षा में निर्धारित अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों को पुनः परीक्षा का अवसर दिए जाने तथा पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोके जाने (डिटेंशन पॉलिसी) का प्रावधान है।

सत्र 2021—22 में म.प्र. की समस्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की गई थी। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की शालाओं में अध्ययनरत बच्चे की शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान सत्र 2022—23 में शासकीय शालाओं के साथ—साथ शासकीय मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में भी एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षा— 5 व 8 हेतु बोर्ड पैटर्न पर वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

1. राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में परीक्षा संपादित कराई जाएगी। जिला स्तर पर परीक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिला परीक्षा समिति का गठन गतवर्ष के अनुसार ही किया जाएगा।

2. **परीक्षा योजना–** परीक्षा के विभिन्न घटकों का अधिभार निम्नानुसार होगा
   - अर्द्धवार्षिक परीक्षा – अधिभार 20 प्रतिशत (पूर्णांक 50)
   - वार्षिक परीक्षा (लिखित) – अधिभार 60 प्रतिशत (पूर्णांक 60)
   - वार्षिक परीक्षा (प्रोजेक्ट कार्य) – अधिभार 20 प्रतिशत (पूर्णांक 20)

2.1 शासकीय शालाओं हेतु अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा निर्मित कराए गए प्रश्नपत्रों एवं निर्धारित समय–सारणी अनुसार कराया जाएगा।

2.2 अशासकीय शालाओं द्वारा अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शाला स्तर पर राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न पत्र निर्मित कर राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी समय–सारणी अनुसार कराया जाएगा।

2.3 वार्षिक परीक्षा हेतु कक्षावार, विषयवार, निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार एट–ग्रेड (वर्तमान कक्षा) पाठ्य पुस्तकों के आधार पर लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कराया जाएगा। वार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं प्रोजेक्ट कार्यों की सूची पृथक से जारी की जाएगी।

2.4 वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा की योजना निम्नानुसार होगी–

2.4.1 प्राथमिक स्तर (कक्षा 5)

विषय	लिखित परीक्षा पूर्णांक	प्रोजेक्ट कार्य पूर्णांक
1. प्रथम भाषा–विशिष्ट (हिन्दी / अंग्रेजी / मराठी / उर्दू)	60	20
2. द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियो को छोड़कर) अथवा सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियो हेतु)	60	20
3. अतिरिक्त भाषा–सामान्य हिन्दी (यदि मातृभाषा हिन्दी नहीं है) या सामान्य उर्दू / मराठी या अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में से एक भाषा	60	20
4. गणित	60	20
5. पर्यावरण अध्ययन	60	20

2.4.2 अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य हिन्दी एवं हिन्दी, उर्दू एवं मराठी माध्यम के विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य अंग्रेजी का चयन करना अनिवार्य होगा।

माध्यमवार भाषा चयन कक्षा 5 हेतु कुछ उदाहरण निम्न सारणी में दिए गए हैं–

माध्यम	हिन्दी	अंग्रेजी	उर्दू	मराठी
प्रथम भाषा	हिन्दी विशिष्ट	अंग्रेजी विशिष्ट	उर्दू विशिष्ट	मराठी विशिष्ट
द्वितीय भाषा	अंग्रेजी सामान्य	हिन्दी सामान्य	अंग्रेजी सामान्य	अंग्रेजी सामान्य
अतिरिक्त भाषा	-	-	हिन्दी सामान्य	हिन्दी सामान्य

अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है लेकिन अतिरिक्त भाषा विषय लेने की स्थिति में प्राप्तांकों को वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन एवं परिणाम हेतु जोड़ा जाएगा।

2.4.3 पूर्व माध्यमिक स्तर (कक्षा 8)

विषय	लिखित परीक्षा पूर्णांक	प्रोजेक्ट कार्य पूर्णांक
1. प्रथम भाषा–विशिष्ट (हिन्दी / अंग्रेजी / मराठी / उर्दू)	60	20
2. द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियो को छोड़कर) अथवा सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियो हेतु)	60	20
3. तृतीय भाषा–संस्कृत / सामान्य हिन्दी / सामान्य उर्दू / सामान्य मराठी	60	20
4. गणित	60	20
5. विज्ञान	60	20
5. सामाजिक विज्ञान	60	20

2.4.4 हिन्दी भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य हिन्दी का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य किसी भारतीय भाषा का चयन किया जाता है तो द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी तथा तृतीय भाषा के रूप में सामान्य हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य होगा।

माध्यमवार भाषा चयन कक्षा 8 हेतु कुछ उदाहरण निम्न सारणी में दिए गए हैं–

माध्यम	हिन्दी	अंग्रेजी	उर्दू	मराठी
प्रथम भाषा	हिन्दी विशिष्ट	अंग्रेजी विशिष्ट	उर्दू विशिष्ट	मराठी विशिष्ट
द्वितीय भाषा	अंग्रेजी सामान्य	हिन्दी सामान्य	अंग्रेजी सामान्य	अंग्रेजी सामान्य
तृतीय भाषा	संस्कृत / उर्दू / मराठी	संस्कृत / उर्दू / मराठी	हिन्दी सामान्य	हिन्दी सामान्य

2.5 वार्षिक परीक्षा उपरांत कक्षोन्नति हेतु परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक विषय की लिखित परीक्षा (बाह्य मूल्यांकन) एवं प्रोजेक्ट कार्य (आंतरिक मूल्यांकन) में पृथक्–पृथक् न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षाफल घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषयों में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा एवं लगभग दो माह की कालावधि में पुनःपरीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा।

2.5.1 पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उसकी अध्ययनरत् कक्षा में ही वापस रोका जाएगा।

2.5.2 स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

3. **परीक्षा शुल्क**– परीक्षा आयोजन हेतु आवश्यक प्रक्रियागत् व्यय यथा प्रश्नपत्र–मुद्रण, वितरण, मूल्यांकन, प्रगति पत्रक तैयार करना, परीक्षा पोर्टल संचालन आदि कार्यों हेतु कक्षावार एवं छात्रवार निम्नानुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान शाला द्वारा परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन के दौरान ऑनलाईन पेमेंट गेटवे प्रक्रिया से किया जाएगा–

- कक्षा 5 हेतु रू. 50/– प्रतिछात्र
- कक्षा 8 हेतु रू. 100/– प्रतिछात्र

नोट– परीक्षा शुल्क के रूप में कोई भी राशि छात्रों से नहीं ली जाएगी।

4. **परीक्षा संचालन हेतु ऑनलाईन पोर्टल की व्यवस्था–** गतवर्ष की भांति इस वर्ष भी कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा विकसित आई.टी. प्लेटफार्म (www.rskmp.in) के माध्यम से परीक्षागत् व्यवस्थाएं, यथा छात्र पंजीकरण, छात्र सत्यापन, परीक्षा केन्द्र निर्धारण, मूल्यांकन केन्द्र निर्धारण, परीक्षाफल निर्धारण, प्रगति पत्रक जनरेट करना आदि संपादित की जाएंगी। इसके संबंध में आवश्यक निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे। आई.टी. प्लेटफॉर्म के संचालन हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों एवं शाला प्रभारियों का समय–समय पर उन्मुखीकरण किया जाएगा।

5. परीक्षा पद्धति से परिचय कराने तथा विद्यार्थियों को अभ्यास के अधिक अवसर देने हेतु विगत् वर्षों के प्रश्नपत्र, प्रोजेक्ट कार्य तथा प्रश्नबैंक शीघ्र ही समस्त संबंधित शालाओं को उपलब्ध कराये जायेगें।

6. बोर्ड पैटर्न पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु प्री–बोर्ड परीक्षा का आयोजन माह फरवरी/मार्च 2023 में किया जाएगा। इस हेतु समय सारणी पृथक से जारी की जायेगी।

7. वार्षिक परीक्षा का आयोजन माह– मार्च/अप्रैल 2023 में किया जाना संभावित है। इस हेतु समय–सारिणी पृथक् से जारी की जाएगी।

8. वार्षिक परीक्षा संचालन संबंधी विभिन्न गतिविधियों हेतु समय सीमा निर्धारण अथवा अन्य आवश्यक निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे।

(धनराजू एस.) 12/09/2022
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

क्र./रा.शि.के./मूल्याकंन/वार्षिक मूल्यांकन/2022–23/533 भोपाल, दिनांक 12.9.2022

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, जन सम्पर्क विभाग, म.प्र. शासन।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र.।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले म.प्र.।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग म.प्र.।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र.।
8. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, समस्त जिले म.प्र.।
9. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जिले म.प्र.।
10. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले म.प्र.।
10. समस्त संकुल प्राचार्य, शा. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, म.प्र.।
11. बी.आर.सी.सी., समस्त विकासखण्ड म.प्र.।
12. आई.सी.टी. कक्ष राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल, अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/09/2022
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/अर्द्धवार्षिक मूल्यां./2022–23/5689 भोपाल, दिनांक 29.9.2022

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले (म.प्र.)

विषयः— अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022–23 : शासकीय एवं अशासकीय शालाओं हेतु दिशा–निर्देश।

संदर्भः— 1. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र./पा.पु./राशिके/2022/1391, भोपाल दिनांक 10.06.2022
2. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र./पा.पु./राशिके/2022/4820, भोपाल दिनांक 23.08.2022
3. रा.शि.के. का पत्र क्र./मूल्यांकन/अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन/2022/5525, भोपाल दि. 22.09.2022
4. रा.शि.के. का पत्र क्र./मूल्यांकन/वार्षिक मूल्यांकन/2022–23/5330, भोपाल दि. 12.09.2022

अकादमिक सत्र 2022–23 में अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप समझ, अनुप्रयोग, समस्या समाधान तथा विश्लेषण आधारित दक्षता जैसे कौशलों पर केन्द्रित किया गया है। इस प्रकार के मूल्यांकन से सीखने–सिखाने की प्रक्रिया व सतत मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकेगा। अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन में यह प्रयास किया गया है कि बच्चे रटंत अधिगम के स्थान पर सीखे गए ज्ञान का प्रयोग वास्तविक जीवन की दशाओं में कर सकें अतएव ज्ञान के बजाए समझ/अनुप्रयोग तथा उच्च तार्किक क्षमताओं के आकलन किए जाने पर जोर दिया गया है। अकादमिक सत्र 2022–23 हेतु अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं–

1. अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि, अवधि एवं पाठ्यक्रम सीमा–

<u>शासकीय शालाओं हेतु–</u>

- समस्त शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं की कक्षा 3 से 8 हेतु अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 7 नवंबर से 16 नवंबर 2022 की अवधि में किया जाएगा। कक्षावार एवं विषयवार समय–सारणी परिशिष्ट– 1 व परिशिष्ट– 2 पर संलग्न है।
- अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन 30 अक्टूबर 2022 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। संदर्भित पत्र क्र. 1 व 2 अनुसार प्रसारित निर्देशों के अनुक्रम में शासकीय शालाओं में अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्नपत्र का निर्माण लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री **(N-1)** आधारित पाठ्यक्रम पर किया गया है।

अशासकीय शालाओं हेतु–

- संदर्भित पत्र क्र. 4 अनुसार प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में अकादमिक सत्र 2022–23 में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में शासकीय शालाओं के साथ–साथ समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं एवं अनुदान प्राप्त शालाओं को भी सम्मिलित किया गया है।
- वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्द्धवार्षिक परीक्षा का 20 प्रतिशत अधिभार लिया जाएगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि शाला द्वारा विद्यार्थियों के कक्षा 5 व 8 के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि पोर्टल पर की जानी है। अधिभार की गणना शाला द्वारा नहीं की जाएगी। यह गणना साफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही हो जाएगी।
- एकरूपता की दृष्टि से शासकीय शालाओं के समान ही अशासकीय व अनुदान प्राप्त शालाओं में भी कक्षा 5वीं एवं 8वीं की अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन 7 नवंबर से 16 नवंबर 2022 की अवधि में किया जाए। उपरोक्त शालाओं में कक्षा 5वीं व 8वीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु कक्षावार एवं विषयवार समय–सारणी परिशिष्ट–1 एवं परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।
- कक्षा 5 एवं 8 के अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्नपत्रों का निर्माण 30 अक्टूबर 2022 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शालाओं में अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5वीं एवं 8वीं के प्रश्नपत्र शाला स्तर पर ही निर्मित किए जाएंगे। कक्षा 5 एवं 8 हेतु प्रश्नपत्रों के निर्माण हेतु ब्लूप्रिंट राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं जोकि परिशिष्ट– 3 पर संलग्न हैं।
- शेष कक्षाओं (कक्षा 1 से 4 एवं 6 व 7) में अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शालाओं द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कराया जा सकता है।
- **प्रश्नपत्रों की एक–एक प्रति बी.आर.सी. कार्यालय में जमा करना–** शासकीय मान्यता प्राप्त तथा अशासकीय शालाएं निर्धारित समय–सारणी अनुसार परीक्षा आयोजित करने के उपरांत 21 नवंबर 2022 तक प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के प्रश्नपत्रों की एक–एक प्रति बी.आर.सी. कार्यालय में जमा कराएंगे तथा पावती प्राप्त करेंगे। बी.आर.सी. यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्रांतर्गत आने वाली समस्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्रत्येक शाला के प्रत्येक विषय के प्रश्नपत्र (केवल कक्षा 5, 8) उनके कार्यालय में जमा हो जाएं।

- बी.आर.सी. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी अशासकीय शालाओं के प्रमुख द्वारा निम्न प्रारूप में प्रमाणीकरण भी बी.आर.सी. में जमा कराया जाए–

प्रश्नपत्र प्रमाणीकरण प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि ....
(शाला का नाम व डाईस कोड) में दिनांक 7 से 16 नवंबर की अवधि में कक्षा 5 एवं 8 में आयोजित अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन में इन प्रश्नपत्रों का उपयोग किया गया है।

- समस्त अशासकीय शालाओं से प्राप्त प्रश्नपत्रों को बी.आर.सी. द्वारा संबंधित जिले की डाईट में जमा किया जाए एवं पावती प्राप्त की जाए। उक्त प्रश्नपत्रों को ब्लूप्रिंट में निर्धारित संरचना/कौशल व कठिनाई स्तर हेतु निर्धारित अधिभार इत्यादि मापदण्डों पर विश्लेषण प्रत्येक जिले की डाईट द्वारा किए जाने हेतु निर्देश पृथक से ज़ारी किए ज़ा रहे हैं।

2. प्रश्नपत्र का स्वरूप–

2.1 **कक्षा 1 व 2 हेतु–** पृथक से मूल्यांकन नहीं किया जाना है। समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 1 व 2 में हिन्दी, गणित व अंग्रेजी विषयों में मिशन अंकुर अंतर्गत एफ.एल.एन. केन्द्रित अभ्यास पुस्तिका एवं कक्षा पाठ्यपुस्तक पर आधारित शिक्षण अनुसार मूल्यांकन, निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाना है। जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है–

- अंग्रेजी भाषा में कक्षा 1 हेतु आवधिक आकलन– सप्ताह 19 Ql Assessment, Workbook के अंत में दिए गए मूल्यांकन कार्यपत्रक– Worksheet क्रमांक 172 से 178 तथा कक्षा 2 हेतु आवधिक आकलन– सप्ताह 19 Ql Assessment, Workbook क्रमांक 180 से 187 पर किया जाना है। शिक्षक प्रश्नों के निर्देश एवं प्रश्न में आए शब्दों को बच्चों को पढ़ कर सुनाएं।
- शासकीय शालाओं में कक्षा 1 एवं 2 में (हिन्दी, गणित व अंग्रेज़ी विषयों हेतु) विद्यार्थियों के आकलन के लिए राज्य द्वारा कोई पृथक प्रश्नपत्र प्रदाय नहीं किये जाएंगे। शिक्षकों हेतु 'हिन्दी एवं गणित शिक्षक मार्गदर्शिका' में मूल्यांकन टूल (उपकरण) एवं निर्देश (प्रक्रिया) पूर्व में ही दिए गए हैं, जिसके आधार पर इन विषयों का मूल्यांकन आवधिक मूल्यांकन की प्रक्रिया अनुसार किया जाए।
- हिन्दी भाषा हेतु इन कक्षाओं में आवधिक आकलन–2 के 17वें सप्ताह के छठवें दिवस एवं 18वें सप्ताह के प्रथम दिवस के आधार पर आयोजित किया जाना है। हिन्दी विषय में मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार से आकलन किया जाना है। मौखिक आकलन हेतु शिक्षक द्वारा एक–एक विद्यार्थी को बुलाकर बारी–बारी से आकलन किया जाए जबकि लिखित भाग का आकलन कार्यपुस्तिका में दिए गए कार्यपत्रक में किया जाएगा।
- गणित विषय में शिक्षक मार्गदर्शिका के आवधिक आकलन–2 के 18वें सप्ताह के अनुसार आयोजित किया जाना है। गणित विषय में मूल्यांकन हेतु कार्यपत्रक का उपयोग किया जाएगा जोकि कार्यपुस्तिका के अंत में दिया गया है।
- एफ.एल.एन. अंतर्गत कक्षा 1 एवं 2 के आकलन में अंक प्रदाय नहीं किए जा रहे हैं। इस हेतु शिक्षक मार्गदर्शिका में दिए गए आवधिक मूल्यांकन–2, सप्ताह– 18 के ट्रेकर/संकलन प्रपत्र में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अद्यतन किया जाना है।
- कक्षा 1 व 2 उर्दू एवं मराठी भाषा हेतु टूल, निर्देश एवं ट्रेकर/संकलन प्रपत्र राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

2.2 **कक्षा–3 से 8 हेतु–** समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 3 से 8 की समस्त कक्षाओं के सभी विषयों हेतु प्रश्नों का विवरण एवं अंक विभाजन की योजना समान है। प्रश्नपत्र का स्वरूप गतवर्ष की भांति प्रश्नपत्र सह उत्तरपुस्तिका के रूप में होगा अर्थात् प्रश्नपत्र में ही बच्चों के उत्तर लिखने की जगह रहेगी। कक्षा 3 से 8 हेतु प्रश्नपत्र प्रारूप का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है–

अकादमिक सत्र 2022–23 हेतु अर्द्धवार्षिक प्रश्नपत्र का प्रारूप

प्रश्नों का विवरण व अंक विभाजन	कुल प्रश्न संख्या	पूर्णांक
• **विषय के कौशल/लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्न** • बहुविकल्पीय–(10 प्रश्न × 1 अंक = 10 अंक) • लघुत्तरीय–(10 प्रश्न × 3 अंक = 30 अंक) • दीर्घउत्तरीय–(2 प्रश्न × 5 अंक = 10 अंक)	22	50

2.3 **प्रश्नपत्र का कठिनाई स्तर व कौशल–**

Knowledge/ Remembering 10%	Understanding 50%	Applying 30%	High Order Thinking Questions 10%
Easy-30%	Average-50%	Difficult-20%	

टीप– समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में कक्षा 5 एवं 8 हेतु प्रश्नों का विवरण, अंक विभाजन एवं कठिनाई स्तर उपरोक्त सारणी के अनुसार ही रहेगा।

3. **प्रश्नपत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण–** शासकीय शालाओं हेतु प्रश्नपत्रों का मुद्रण–वितरण शालावार–विषयवार वास्तविक दर्ज संख्या के मान से जिला परियोजना समन्वयक द्वारा संदर्भित पत्र क्र–3 अनुसार भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए समय–सीमा में कराया जाए। मूल्यांकन संबंधी सामग्री मुद्रण, वितरण व गणना का आधार निम्नानुसार रहेगा–

क्र.	सामग्री का विवरण	गणना का आधार
1.	कक्षावार–विषयवार प्रश्नपत्र मुख्यविषय हिन्दी माध्यम (कक्षा–3 से 8)	वास्तविक दर्ज संख्या (प्रति विद्यार्थी एक–एक प्रति)
2.	*अल्पभाषा/अल्पविषय (मराठी, उर्दू, अंग्रेजी माध्यम) प्रश्नपत्र कक्षा–1 से 8	जिले की शालाओं में कक्षावार *अल्पभाषा–अल्पविषय के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के मान से आवश्यकतानुसार मुद्रित किए जाएं।
3.	शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र–1	प्रति कक्षा एक प्रति (कक्षा 3 से 8 हेतु)
4.	ट्रेकर/संकलन प्रपत्र (मराठी, उर्दू) ए–3 साईज में	कक्षा 1 व 2 में मराठी व उर्दू के लिए आवश्यकतानुसार मुद्रित कराई जाए। (प्रति कक्षा एक प्रति)

विशेष नोट–

- *जिनकी सॉफ्टकापी राज्य स्तर से प्रदाय की गई है, उनका मुद्रण कराया जाए।
- उपरोक्त तालिका में अंकित विषयों के अलावा यदि अन्य कोई विषय का अध्यापन किसी संस्था में कराया जाता है तो उसके प्रश्नपत्र शाला स्तर से निर्मित कर मूल्यांकन कराया जाए।

4. **अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्नपत्र की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता –**

4.1 राज्य स्तर से जिले को मुद्रण हेतु प्रश्नपत्र सॉफ्टकापी की उपलब्धता– समस्त शासकीय शालाओं में अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के समस्त प्रश्नपत्रों व प्रपत्रों की साफ्टकॉपी (पीडीएफ फाइल में) 15 अक्टूबर 2022 को उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जिला परियोजना समन्वयक समस्त शासकीय शालाओं हेतु समय–सीमा में मुद्रण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

4.2 जिले स्तर से मुद्रित प्रश्नपत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं को वितरण– जिले स्तर से शासकीय शालाओं में विद्यार्थियों की वास्तविक दर्ज संख्या के मान से मुद्रित प्रश्नपत्र के कक्षावार–विषयवार पैकेट एवं अन्य मूल्यांकन सामग्री बीआरसी, जनशिक्षक के माध्यम से शालाओं को

30 अक्टूबर 2022 से पूर्व अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाए। शालाओं तक समस्त सामग्री सुरक्षित रूप से गोपनीयता के साथ समय–सीमा में पहुंचाने का दायित्व जिला परियोजना समन्वयक व बी.आर.सी. का रहेगा।

5. **प्रश्नपत्रों की जांच व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना–** प्रश्नपत्रों की जांच गतवर्षों की भांति शाला स्तर पर किया की जाए। शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र–1 में जानकारी भरकर शाला स्तर पर संधारित की जाए।

6. **परीक्षा संचालन हेतु** पोर्टल **की व्यवस्था–** कक्षा 5 एवं 8 परीक्षा हेतु ऑनलाईन पोर्टल (www.rsk.in) की व्यवस्था है जिसके माध्यम से गतवर्ष समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा संचालित की गई थी। सत्र 2022–23 में शासकीय शालाओं के साथ–साथ समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में कक्षा 5 व 8 वार्षिक परीक्षा **संचालन** की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से होगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि सत्र 2022–23 में शासकीय शालाओं के साथ–साथ समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं के विद्यार्थियों का पंजीयन भी पोर्टल पर किया जाना है। **बच्चों के पंजीकरण हेतु पोर्टल दिनांक 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2022 तक खोला** जाएगा। आई.टी. प्लेटफार्म के संचालन हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों एवं शाला प्रभारियों का समय–समय पर उन्मुखीकरण राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। (संदर्भित पत्र क्र. 4 का अवलोकन करें)

   कक्षा 5वीं तथा 8वीं अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन उपरांत उत्तरपुस्तिकाओं की जांच समस्त शालाओं द्वारा 25.11.2022 तक पूर्ण कर ली जाए। तत्पश्चात् **www.rsk.in** पोर्टल पर छात्रवार–विषयवार अंकों की प्रविष्टि पूर्ण की जाए। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 25 अक्टूबर 2022 तक अपंजीकृत और दिनांक 25 नवंबर 2022 तक अंकों की प्रविष्टि नहीं किये गये छात्र माह 2023 में आयोजित वार्षिक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

7. **शासकीय शालाओं हेतु बजट प्रावधान–** अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी गतिविधियों में होने वाला समस्त व्यय समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के प्रतिभा पर्व मद से किया जाए।

8. उक्त के संबंध में जिला परियोजना समन्वयक प्रेस रिलीज जारी कराएं। समस्त शासकीय प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाओं तक निर्देश उपलब्ध कराएं ताकि बच्चों की पूर्व तैयारी सुनिश्चित हो सके।

9. अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के बारे में मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं एवं अनुदान प्राप्त शालाओं को *निर्देश उपलब्ध कराकर अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा।*

संलग्न– *ब्लूप्रिंट* एवं समय–सारणी।

(धनराजू एस.) 29/09/22
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

निरंतर ....

पृ.क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/अर्द्धवार्षिक मूल्यां./2022–23/5690 भोपाल, दिनांक : 29.9.2022

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
9. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
10. प्राचार्य आई.ए.एस.ई. व सी.टी.ई. समस्त मध्यप्रदेश।
11. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, समस्त म.प्र. सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. प्राचार्य, डाइट, समस्त म.प्र.।
13. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त म.प्र. सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. समस्त बी.आर.सी. को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
15. म.प्र. एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

29/09/2022

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र,भोपाल

राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल

अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम (TIME TABLE) वर्ष 2022–23

परिशिष्ट–1

कक्षा 3, 4, 5 हेतु **समयः सुबह 10:00 से दोपहर 12:30 बजे तक**

कक्षा ↓	07.11.2022	09.11.2022	10.11.2022	11.11.2022	12.11.2022
दिन →	सोमवार	बुधवार	गुरूवार	शुक्रवार	शनिवार
3	प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी / विशिष्ट अंग्रेजी / विशिष्ट उर्दू / विशिष्ट मराठी	द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी / सामान्य हिन्दी	गणित / संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)	पर्यावरण अध्ययन	अतिरिक्त (वैकल्पिक) भाषा– सामान्य उर्दू / सामान्य हिन्दी आदि*
4	प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी / विशिष्ट अंग्रेजी / विशिष्ट उर्दू / विशिष्ट मराठी	द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी / सामान्य हिन्दी	गणित / संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)	पर्यावरण अध्ययन	अतिरिक्त (वैकल्पिक) भाषा– सामान्य उर्दू / सामान्य हिन्दी आदि*
5	प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी / विशिष्ट अंग्रेजी / विशिष्ट उर्दू / विशिष्ट मराठी	द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी / सामान्य हिन्दी	गणित / संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)	पर्यावरण अध्ययन	अतिरिक्त (वैकल्पिक) भाषा– सामान्य उर्दू / सामान्य हिन्दी आदि*

नोट– दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को मूल्यांकन निर्देशानुसार अतिरिक्त समय / लेखक अनिवार्यतः प्रदान किया जाए।

* अतिरिक्त भाषा का चयन करना वैकल्पिक है। लेकिन यदि चयन किया जाता है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को भी परीक्षा परिणाम में जोड़ा जाए।

समन्वयक मूल्यांकन

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल
अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम (TIME TABLE) वर्ष 2022–23

परिशिष्ट–2

कक्षा 6, 7, 8 हेतु

समयः दोपहर 1:30 से 4:30 बजे तक

कक्षा ↓	07.11.2022	09.11.2022	10.11.2022	11.11.2022	12.11.2022	16.11.2022
दिन →	सोमवार	बुधवार	गुरूवार	शुक्रवार	शनिवार	बुधवार
6	प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / मराठी	द्वितीय भाषा– 1.1 सामान्य अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर) 1.2 सामान्य हिन्दी (जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी / माध्यम अंग्रेजी है)	विज्ञान	गणित / संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)	तृतीय भाषा– सामान्य संस्कृत / सामान्य हिन्दी / सामान्य उर्दू / सामान्य मराठी	सामाजिक विज्ञान
7	प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / मराठी	द्वितीय भाषा– 1.1 सामान्य अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर) 1.2 सामान्य हिन्दी (जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी / माध्यम अंग्रेजी है)	विज्ञान	गणित / संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)	तृतीय भाषा– सामान्य संस्कृत / सामान्य हिन्दी / सामान्य उर्दू / सामान्य मराठी	सामाजिक विज्ञान
8	प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / मराठी	द्वितीय भाषा– 1.1 सामान्य अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर) 1.2 सामान्य हिन्दी (जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी / माध्यम अंग्रेजी है)	विज्ञान	गणित / संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)	तृतीय भाषा– सामान्य संस्कृत / सामान्य हिन्दी / सामान्य उर्दू / सामान्य मराठी	सामाजिक विज्ञान

नोट– 1. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को मूल्यांकन निर्देशानुसार अतिरिक्त समय / लेखक अनिवार्यतः प्रदान किया जाए।

2. हिन्दी भाषा का अध्ययन प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए अनिवार्य होगा।

3. प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी लेने वाले परीक्षार्थी द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य हिन्दी का चयन करेंगे।

4. प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी के अतिरिक्त, अन्य किसी भारतीय भाषा का चयन किया जाता है, तो द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी तथा तृतीय भाषा के रूप में सामान्य हिन्दी का चयन करना होगा।

समन्वयक मूल्यांकन
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

अर्द्धवार्षिक प्रश्नपत्र हेतु ब्लूप्रिंट 2022–23

(समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए)

कक्षा– .... विषय– .... पूर्णांक–50

प्रश्न क्र.	प्रश्न का प्रकार Multiple Choice Questions - MCQ Short Answer - SA Long Answer - LA	कौशल Knowledge/ Remembering-K/R Understanding - U Applying - A High Order Thinking - HOTS	कठिनाई स्तर **Easy - E** **Average - A** **Difficult - D**	**LO Code**	अंक अधिभार
1.	MCQ				1 अंक
2.	MCQ				1 अंक
3.	MCQ				1 अंक
4.	MCQ				1 अंक
5.	MCQ				1 अंक
6.	MCQ				1 अंक
7.	MCQ				1 अंक
8.	MCQ				1 अंक
9.	MCQ				1 अंक
10.	MCQ				1 अंक
11.	SA				3 अंक
12.	SA				3 अंक
13.	SA				3 अंक
14.	SA				3 अंक
15.	SA				3 अंक
16.	SA				3 अंक
17.	SA				3 अंक
18.	SA				3 अंक
19.	SA				3 अंक
20.	SA				3 अंक
21.	LA				5 अंक
22.	LA				5 अंक

- <u>प्रश्न पत्र की संरचना/स्वरूप</u>– अकादमिक सत्र 2022–23 हेतु अर्द्धवार्षिक प्रश्नपत्र का प्रारूप निम्नानुसार रहेगा–

प्रश्नों का विवरण व अंक विभाजन	कुल प्रश्न संख्या	पूर्णांक
• विषय के कौशल/लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्न • बहुविकल्पीय–(10 प्रश्न × 1 अंक = 10 अंक) • लघुत्तरीय–(10 प्रश्न × 3 अंक = 30 अंक) • दीर्घउत्तरीय–(2 प्रश्न × 5 अंक = 10 अंक)	22	50

- कौशल व कठिनाई स्तर हेतु अधिभार–

Knowledge/ Remembering 10%	**Understanding 50%**	**Applying 30%**	**High Order Thinking Questions 10%**
Easy-30%	Average-50%	Difficult-20%	

- उपरोक्त ब्लूप्रिंट के आधार पर शासकीय शालाओं हेतु प्रश्नपत्र भी निर्मित किए गए है।

शिक्षा का अधिकार

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र. / रा.शि.के. / मूल्यांकन / 2022–23 / 6072 भोपाल, दिनांक 27.10.2022

परीक्षा अतिमहत्वपूर्ण

प्रति,

सचिव
म.प्र. मदरसा बोर्ड
भोपाल

विषय– मदरसा बोर्ड में कक्षा 5 व 8 की परीक्षा राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा लिए जाने के संबंध में प्रशासकीय अनुमोदन पर कार्यवाही विषयक।

संदर्भ–1. माननीय मंत्री जी से प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन क्र 2428 दिनांक 17.10.2022
2. रा. शि. के. का पत्र क्र. 5689 दिनांक 29.09.2022
3. रा. शि. के. का पत्र क्र / मूल्यांकन / कक्षा 5,8 वा.मू. / 2022–23 / 5891–92 दिनांक 10.10.2022

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र. मदरसा बोर्ड के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा, म.प्र. द्वारा निम्नानुसार प्रशासकीय अनुमोदन दिया गया है–

म.प्र. मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त ऐसे मदरसे जिनको डाइस कोड आवंटित नहीं है उन मदरसों को छोडकर शेष मदरसे जिनको डाइस कोड प्राप्त हैं, उनकी कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाएं राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा आयोजित की जावें।

उपरोक्त प्रशासकीय अनुमोदन के परिपेक्ष्य में लेख है कि सत्र 2022–23 की कक्षा 5 व 8 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 के अनुसार निर्देश एवं समय सारणी जारी की जा चुकी है। सभी मदरसों को कक्षा 5 व 8 हेतु जारी निर्देशों एव समय सारणी के संबंध में अविलंब सूचित करें।

विदित हो कि सत्र 2022–23 हेतु कक्षा 5 व 8 अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्र राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्मित किये गये हैं तथा प्रश्न पत्रों का मुद्रण जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिले स्तर पर कराया जा रहा है। प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ मदरसा प्रभारी को सूचित करें कि वह आज ही कक्षा 5 व 8 की कक्षावार, विषयवार, माध्यमवार कितने प्रश्नपत्र मुद्रित होने हैं इसकी संख्यात्मक जानकारी जिला परियोजना समन्वयक को उपलब्ध करावें ताकि तदनुसार प्रश्नपत्रों का मुद्रण डी.पी.सी द्वारा करवाया जा सके और समय सीमा में मदरसा प्रभारी को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये जा सकें। जिले के मदरसों को प्रश्न पत्रों के वितरण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा कार्यालय मे पदस्थ मदरसा प्रभारी का होगा।

(धनराजू एस.) 27/10/2022
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ.क्र. / रा.शि.के. / मूल्यांकन / 2022–23 / 6073 भोपाल, दिनांक 27.10.2022

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
8. कलेक्टर, समस्त जिला, मध्यप्रदेश।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
10. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
11. प्राचार्य आई.ए.एस.ई. व सी.टी.ई. समस्त मध्यप्रदेश।
12. जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, समस्त म.प्र. सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. प्राचार्य, डाइट, समस्त म.प्र.।
14. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त म.प्र. सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
15. समस्त बी.आर.सी. को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
16. म.प्र. एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

27/10/22

संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल